कामर्शियल कोर्ट, प्रयागराज

निष्पादन वाद सं० 106/2019, सुशील कुमार, निष्पादन वाद सं० 108/109/110/174/2019 विनोद कुमार निषाद व निष्पादन वाद सं० 175/2019 प्रयाग कंस्ट्रक्शन

बनाम

उ०प्र० राज्य

18.03.2025

1. पुकार करायी गयी। पुकार पर डिक्रीदार की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं निर्णीतऋणी/उ०प्र० राज्य द्वारा इक्जीक्यूटिव इंजीनियर निर्माण खण्ड–4 कुम्भ मेला, पी०डब्ल्यू०डी० की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) उपस्थित है।

2. निर्णीतऋणी/ इक्जीक्यूटिव इंजीनियर निर्माण खण्ड –4 के कुम्भ मेला पी०डब्ल्यू०डी० इलाहाबाद/प्रयागराज की ओर से निष्पादन वाद सं० 106/2019 में प्रार्थना पत्र 30ग, निष्पादन वाद सं० 108/2019 में 36ग, निष्पादन वाद सं० 109/2019 में प्रार्थना पत्र 38ग एवं निष्पादन वाद सं० 110/2019 में प्रार्थना पत्र 39ग प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2025, 24.02.2025 का सम्मान करते हुये बिना किसी देरी के उ०प्र० शासन लखनऊ दिनांक 14.02.2025 को मांग पत्र प्रेषित किया गया है। धन आवंटन हेतु बराबर पैरवी की जा रही है। एक माह का समय दे दिया जाये।

3. दूसरी ओर डिक्रीदार की ओर से निर्णीतऋणी के उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये यह बहस की गयी कि निर्णीतऋणी अधिशासी अभियन्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 के अनुपालन में अवार्ड धनराशि का भुगतान नहीं किया उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये और यह भी कथन किया गया कि उक्त निष्पादन वाद में निर्णीतऋणी/ इक्जीक्यूटिव इंजीनियर निर्माण खण्ड –4 के कुम्भ मेला पी०डब्ल्यू०डी० इलाहाबाद/प्रयागराज के कोषागार प्रयागराज के खाता शीर्षक ट्रेजरी कोड सं0–4903 तथा 1722 मे पर्याप्त धनराशि है जिसे अटैच भी किया है उसे वसूलकर दिलाया जाये।

4. मैने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. निष्पादन वाद सं० 106/2019 व अन्य उपरोक्त निष्पादन वाद के पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि न्यायालय द्वारा निर्णीतऋणी को न्यायहित में सुनवाई के लिए व उपरोक्त निष्पादन में अवार्ड धनराशि के भुगतान के लिए पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। दिनांक 09.01.2025 को न्यायालय द्वारा डिक्रीदार के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश पारित किया गया है कि निर्णीतऋणी/इक्जीक्यूटिव इंजीनियर निर्माण खण्ड –4 के कुम्भ मेला पी०डब्ल्यू०डी० प्रयागराज द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है और उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने से पहले न्यायहित में सुनवाई के अवसर के लिए पुनः अवसर दिया गया। निर्णीतऋणी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि वह प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, समय दे दिये जाये। न्यायहित में अवसर दिया गया। प्रस्तुत निष्पादन मामले में डी०डी०ओ० कोड सं० 4903 में अटैच किये गये धनराशि 1369691.74 रू० का बिल बनवाकर मुख्य कोषाधिकारी प्रयागराज के समक्ष प्रस्तुत कर इस न्यायालय के बैंक खाता में उक्त धनराशि को ट्रांसफर कराये जाने हेतु आदेशित किया जा चुका है जिसका अनुपालन इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नहीं किया।

6. दिनांक 24.02.2025 को न्यायालय द्वारा निर्णीतऋणी के धन आवंटन हेतु पत्र लिखे जाने व समय दिये जाने के प्रार्थना पत्र 27 ग पर सुनवाई कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **चीफ ट्रेजरी आफिसर बनाम प्रदीप शर्मा व अन्य** 2005(2) ए०डब्ल्यू०सी० 1616 के मामले में दिये गये दिशानिर्देश के अनुक्रम में विस्तार पूर्वक आदेश पारित करते हुये न्यायहित में निर्णीतऋणी द्वारा धनराशि के भुगतान के लिए मांगे गये समय को भी दिया गया। निर्णीतऋणी ने पुनः उक्त प्रार्थना पत्र में किये गये कथन को दोहराते हुये यह कथन किया कि बराबर धन अवांटन के लिए मांग की जा रही, एक माह का समय दे दिया जाये। निर्णीतऋणी के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अपने आप में न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है।

7. माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा **पेरियाम्मल (मृत) द्वारा प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम राजमणि आदि** सिविल अपील संख्या 3640–3642/2025 निर्णीत दिनांक 06.03.2025 के मामले में निष्पादन न्यायालय को यह आदेशित किया गया कि वह **निष्पादन प्रार्थना पत्र पर 6 माह के भीतर निर्णय पारित करे। जिसका अनुपालन करना इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है।**

8. उपरोक्त निष्पादन वाद वर्ष 2019 से लंबित है जिसका निस्तारण अविलम्ब करना आपेक्षित है। माननीय उच्चत्तम न्यायालय उपरोक्त मामले में पारित आदेश के

अनुपालन में दिनांक 11.03.2025 को जिलाधिकारी/कलेक्टर प्रयागराज को अति आवश्यक पत्र लिखकर निर्णीतऋणी/ इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, निर्माण खण्ड –4 के कुम्भ मेला, पी०डब्ल्यू०डी० प्रयागराज को उपरोक्त निष्पादन वाद में अवार्ड धनराशि का भुगतान आज की तिथि दिनांक 18.03.2025 तक कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा उक्त पत्र के अनुपालन में न तो कोई आख्या प्रेषित की गयी और न ही निर्णीतऋणी/इक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा मांगे गये समय दिये जाने के बाद भी अवार्ड धनराशि का भुगतान किया। जिससे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होता है। निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत समय दिये जाने का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

9. प्रस्तुत निष्पादन वाद में निर्णीतऋणी द्वारा समय दिये जाने का प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

10. निर्णीतऋणी/ इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, निर्माण खण्ड–4 कुम्भ मेला पी०डब्ल्यू०डी० इलाहाबाद/प्रयागराज के कोषागार प्रयागराज खाता शीर्षक ट्रेजरी कोड सं० 4903 तथा 1722 को उपरोक्त निष्पादन वाद में पहले से अटैच है। तदनुसार न्यायालय के अग्रिम आदेश तक उक्त ट्रेजरी खाता **4903 तथा 1722** से इक्जीक्यूटिव इंजीनियर निर्माण खण्ड–4 कुम्भ मेला पी०डब्ल्यू०डी० इलाहाबाद/प्रयागराज के द्वारा सम्पूर्ण आहरण– वितरण की धनराशि पर **रोक लगायी जाती** है। आदेश के अनुपालन हेतु मुख्य कोषाधिकारी प्रयागराज को अलग से प्रेषित की जाये।

11. आदेश की प्रति निष्पादन वाद सं० 108/109/110/174/2019 विनोद कुमार निषाद व निष्पादन वाद सं० 175/2019 मे० प्रयाग कंस्ट्रक्शन बनाम उ०प्र० राज्य पर रखी जाये।

12. पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक **28.03.2025** को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
कामर्शियल कोर्ट
प्रयागराज